



BAGHPAT POLICE



सर्विलांस सैल

15 अक्टूबर 2026

बागपत के समस्त थाने एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा जनता के खोये हुए 179 मोबाइल फोन (कीमत लगभग 42 लाख रुपये) को बरामद कर उनके स्वामियों को किया सुपुर्द:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद बागपत श्री पूर्णेन्दु सिंह द्वारा जनता के खोये हुए मोबाइलों के सम्बन्ध में प्राप्त प्रार्थना पत्रों के आधार पर CEIR PORTEL के माध्यम से जनपद बागपत के समस्त थाने एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम को गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया, जिसके क्रम में थाना कोतवाली बागपत, सिंघावली अहीर, बिनौली, खेकडा, चांदीनगर, बालैनी, बडौत,



रमाला, छपरौली एवं सर्विलांस सैल बागपत की संयुक्त टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए जनपदीय, गैरजनपदीय व गैर प्रान्तों से कुल 179 विभिन्न कम्पनियों के मल्टी मीडिया मोबाइलों को बरामद करने में महत्त्वपूर्ण सफलता प्राप्त की गई, बरामद किए गए मोबाइलों की कुल कीमत लगभग 42 लाख रुपये है। बरामद मोबाइलों को पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा आज दिनांक 15.10.2026 को पुलिस लाइन सभागार में उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया।

कुल बरामदगी:-

179 विभिन्न कम्पनियों के मल्टीमीडिया मोबाइल फोन (कीमत लगभग 42 लाख रुपये)

बरामद मोबाइल फोन का विवरण:-

क्र०सं०	कम्पनी का नाम	संख्या
01	सैमसंग	27
02	वन प्लस	08
03	पोको	16

04	टेक्नो	12
05	वीवो	34
06	रियल मी	30
07	रेडमी	15
08	ओप्पो	29
09	मोटरोला	08
कुल मोबाइल फोन		179

क्र०सं०	थाना/सर्विलांस सेल	थाना/सर्विलांस सेल द्वारा बरामद किये गये मोबाइल फोन की संख्या
01	कोतवाली बागपत	26
02	सिंघावली अहीर	12
03	बिनौली	30
04	बडौत	30
05	छपरौली	31
06	रमाला	05
07	खेकडा	34
08	बालैनी	04
09	चांदीनगर	04

बरामद करने वाली टीम:-

- 1-प्र०नि० श्री कुलदीप सिंह सर्विलांस सैल प्रभारी मय टीम जनपद बागपत ।
- 2-प्र०नि० श्री मनोज कुमार चाहल थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 3-प्र०नि० श्री आशीष कुमार मय टीम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-प्र०नि० श्री जितेन्द्र सिंह मय टीम थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-प्र०नि० श्री राकेश कुमार मय टीम थाना चांदीनगर जनपद बागपत ।
- 6- प्र०नि० श्री राकेश कुमार शर्मा मय टीम थाना रमाला जनपद बागपत ।

7-प्र0नि0 श्री प्रभाकर कैंतुरा मय टीम थाना छपरौली जनपद बागपत ।

8-प्र0नि0 श्री दीक्षित कुमार त्यागी मय टीम थाना बडौत जनपद बागपत ।

9-प्र0नि0 श्री महेन्द्रपाल सिंह मय टीम थाना बालैनी जनपद बागपत ।

10-प्र0उ0नि0 श्री सुर्यदीप सिंह मय टीम थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेसनोट जनपद बागपत
थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 15.10.2026

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 507/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 196, 115(2), 109(1), 132, 121, 352, 351(2), 324(4), 61(2) बीएनएस व धारा 7 सीएल एक्ट में वाँछित 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 04.08.2026 को थाना कोतवाली बागपत पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम हरचन्दपुर में दो पक्षों जिनमें प्रथम पक्ष 1. वेदप्रकाश पुत्र कालूराम, 2. अंकित पुत्र वेदप्रकाश, 3. गौरव पुत्र वेदप्रकाश, 4. मिलिन्द पुत्र वेदप्रकाश, 5. देवानन्द पुत्र वेदप्रकाश, 6. आंचल पुत्र वेदप्रकाश व 7. अभिषेक पुत्र वेदप्रकाश व द्वितीय पक्ष 1.



मोहन पुत्र दयाराम, 2. रोहित पुत्र मोहन, 3. अमन पुत्र मोहन, 4. सुशील पुत्र रमेश, 5. निखिल पुत्र मोहन, 6. अजीत पुत्र ओमी व 7. गगन पुत्र देवकरण, समस्त निवासीगण ग्राम हरचन्दपुर, थाना कोतवाली बागपत, जनपद बागपत तथा 10-15 अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा आपस में गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा एक-दूसरे पर ईंट-पत्थर बरसाए गए, जिससे मौके पर अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया तथा लोगों में भय व्याप्त हो गया। इसके उपरांत दोनों पक्षों के लोगों द्वारा उत्तेजित होकर एकराय होकर पुलिसकर्मियों पर जान से मारने की नीयत से लाठी-डंडों एवं ईंट-पत्थरों से हमला किया गया। प्रकरण के सम्बंध में थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 507/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 196,

115(2), 109(1), 132, 121, 352, 351(2), 324(4), 61(2) बीएनएस एवं धारा 7 सीएल एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 507/2026 धारा 191(2), 191(3), 190, 196, 115(2), 109(1), 132, 121, 352, 351(2), 324(4), 61(2) बीएनएस एवं धारा 7 सीएल एक्ट में वाँछित 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है।

उक्त गिरफ्तारी के सम्बंध में थाना कोतवाली बागपत पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-गौरव पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना व जिला बागपत उम्र 19 वर्ष।
- 2-आंचल पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना व जिला बागपत उम्र 20 वर्ष।
- 3-अभिषेक पुत्र वेदप्रकाश निवासी ग्राम हरचन्दपुर थाना व जिला बागपत उम्र 18 वर्ष।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 राकेश कुमार थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 2-है0का0 447 रामकुमार, थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।
- 3-का0 243 सुशील थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 15.10.2026

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 315/26 धारा
191(2)/191(3)/352/115(2) /351(3)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को
किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 डंडा बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14.10.2026 को थाना बिनौली पर वादी श्री कुलदीप पुत्र लीलू सिंह निवासी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ने थाना बिनौली पर एक प्रार्थना पत्र दिया कि अभियुक्तगण 1.उत्तम 2.अमित 3.सचिन 4.राहुल पुत्रगण सतीश 5.ऋतिक पुत्र सुनील 6.रोहित पुत्र मुकेश 7.सागर पुत्र मुकेश समस्त निवासीगण ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा लाठी डण्डो से लैस होकर वादी के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करना तथा जान से मारने की धमकी देना व एक राय होकर वादी के शरीर व सिर पर लाठी डण्डो से हमला कर देना जिससे वादी का मौके पर बेहोश हो जाना । इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 315/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/351(3)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं /वांछित अभियुक्तों/ की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 315/26 धारा 191(2)/191(3)/352/115(2)/351(3)/110 बीएनएस से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक डंडा बरामद हुआ है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ऋतिक पुत्र सुनील निवासी करबा व थाना बिनौली जनपद बागपत 21 वर्ष
बरामदगी का विवरण

- घटना में प्रयुक्त एक डंडा

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- रि0का0 263 यतेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।
3. हो0गा0 435 प्रणवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना खेकडा

दिनांक 15.10.26

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 07 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा व घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी सियाज बरामद

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध मादक पदार्थ तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अवैध मादक पदार्थ तस्कर को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 07 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा तथा घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी सियाज रजि0 नं0 HR 55 AK 0964 बरामद हुई है ।



उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0स0 368/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. सुधाकर पुत्र धर्मेन्द्र सिंह उम्र करीब 29 वर्ष हाल नि० किराये के मकान में फ्लैट नं० 301 कृष्णा होम्स गली नं० 3 द्वारका सिटी थाना बादलपुर जिला गौतमबुद्ध नगर मूल नि० चौधरी सराय मौहल्ला लालपुर कस्बा बदायूं थाना कोतवाली नगर जनपद बदायूं

गिरफ्तार अभियुक्त सुधाकर उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 193/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
2. मु०अ०सं० 299/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
3. मु०अ०सं० 330/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
4. मु०अ०सं० 395/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
5. मु०अ०सं० 506/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
6. मु०अ०सं० 509/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
7. मु०अ०सं० 527/2017 धारा 420 भादवि थाना बन्नादेवी अलीगढ़ ।
8. मु०अ०सं० 403/2017 धारा 379/411/420 भादवि थाना सिविल लाईन अलीगढ़ ।
9. मु०अ०सं० 404/2017 धारा 420 भादवि थाना सिविल लाईन अलीगढ़ ।
10. मु०अ०सं० 250/2017 धारा 379/420 भादवि थाना गाँधी पार्क अलीगढ़ ।
11. मु०अ०सं० 1042/2017 धारा 102/41 दण्ड प्रक्रिया संहिता व 379/411/420 भादवि थाना क्वार्सी अलीगढ़ ।
12. मु०अ०सं० 1892/17 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना क्वार्सी अलीगढ़ ।
13. मु०अ०सं० 92/25 धारा 2/20/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना लौधा अलीगढ़ ।
14. मु०अ०सं० 163/22 धारा 8/20(b) (2) एनडीपीएस एक्ट थाना उझानी बदायूं ।
15. मु०अ०सं० 942/15 धारा 41/411/413 भादवि थाना कोतवाली देवरिया ।
16. मु०अ०सं० 339/26 धारा 380/457 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा ।
17. मु०अ०सं० 991/26 धारा 102/41 द०प्र०सं० व 411/414/420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा ।
18. मु०अ०सं० 1230/16 धारा 120बी/420/467/468 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा ।
19. मु०अ०सं० 1240/16 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा ।
20. मु०अ०सं० 1241/16 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा ।
21. मु०अ०सं० 1243/16 धारा 120बी/420/467 भादवि थाना कोतवाली नगर एटा ।
22. मु०अ०सं० 1244/16 धारा 102/41 द०प्र०सं० थाना कोतवाली नगर एटा ।
23. मु०अ०सं० 1621/16 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली नगर एटा ।
24. मु०अ०सं० 1282/19 धारा 279/304 ए भादवि थाना नोएडा सेक्टर-19 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर ।
25. मु०अ०सं० 185/16 धारा 21/22 एनडीपीएस एक्ट थाना कासगंज कासगंज ।

बरामदगी का विवरण-

- 07 किलो 820 ग्राम अवैध गांजा ।
- घटना में प्रयुक्त एक गाड़ी सियाज रजि० नं० HR 55 AK 0964 ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ०नि० श्री संजीव कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 2 - है०का० 886 अमित कुमार थाना खेकडा बागपत ।
- 3 - रि०का० 416 बादल थाना खेकडा बागपत ।
- 4 - है०का० 189 निशान्त शर्मा थाना खेकडा बागपत ।
- 5 - है०का० 273 मुनेश कुमार थाना खेकडा बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत
थाना बडौत

दिनांक 15.10.2026

थाना बडौत पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया । जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर व 01 जिंदा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अभियुक्त के विरुद्ध मु०अ०सं० 728/26 धारा 3/25 आयुध अधि० अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सचिन उर्फ आंची पुत्र जगदीश निवासी गांव वाजिदपुर थाना बडौत जिला बागपत उम्र 25 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिंदा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामकुमार थाना बडौत
- 2- है0का0 735 संदीप कुमार थाना बडौत
3. है0का0 678 योगेन्द्र सिंह थाना बडौत
4. का0 301 मुलायम थाना बडौत
- 5.का0 666 रघुवरी सिंह थाना बडौत

